FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (राज.)

धन्नी देवी बनाम ग्राम पंचायत मण्ढोली

किस्म मुकदमा अपील धारा 75 भू.राज.अधि. मु. नं. 45 सन् 2024 जीसीएमएस नं. 2024/1050

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24-12-2024	रिपोर्ट सरिस्ता होकर अपील पेश हुई। अपीलान्ट की ओर से **श्री पूरणमल मंगावा एडवोकेट** उपस्थित। अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 दर्ज रजिस्टर कि जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस/रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.01.2025 को पेश हो। **(मुकेश चौधरी)** **उपखण्ड अधिकारी** **नीम का थाना**	
22/1/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/3/25 को पेश हो।	
12/3/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज [illegible] रखा [illegible] आदेशानुसार दिनांक 13/05/25 को पेश हो।	
13/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/7/25 को पेश हो।	
15/7	पत्रावली पेश हुई। [illegible] P.O साहब [illegible] कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 18/8/25 को पेश हों।	
18/8	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली [illegible] आदेशानुसार दिनांक 29/8/25 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:30:16 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। [illegible] अभिभावक सघ
आज [illegible] कार्य का [illegible] कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक .... को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई [illegible] अनुपस्थित
P.O [illegible] अस्वस्थ
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/9/25
को पेश हो।

10/09/2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः रेस्पोडेन्ट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में बहस अपीलान्ट अधिवक्ता एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अपील विरूद्व आदेश दिनांक 22.10.2024 बाबत नामान्तरकरण संख्या 340 ग्राम चक चारावास स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस अपीलान्ट अधिवक्ता पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से की खातेदारी अपीलान्ट की माता स्व0 सूरजीदेवी पत्नी बालूराम के नाम दर्ज रही हैं। जिसका देहान्त होने पर विरासत के आधार पर खातेदारी दर्ज किये जाने की कार्यवाही अपीलान्ट की माता का सजरा खानदान व अन्य दस्तावेज पटवारी हल्का के समक्ष प्रस्तुत करने पर नामान्तरकरण की कार्यवाही पटवारी हल्का द्वारा की गई। उक्त विवादित नामान्तरकरण में मृतक खातेदार सुरजीदेवी की दो जायन्दा पुत्री [illegible] वारिसान में होने के कारण [illegible] स्व0 [illegible] का देहान्त होने पर उसके वारिसान [illegible] में दर्ज कर दिये गये जो सही रूप [illegible] किन्तु अपीलान्ट जिसका नाम धन्नी देवी वारिसनामा में दर्ज था का नाम दर्ज नही करते हुए उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई हैं जबकि हिस्सा सही रूप में दर्ज किया गया है। जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Si
Yadav
Date: 2025.10.06 15:30:16 IS
Reason: SelfAttested

कारण विधि विरूद्व विवादित नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया हैं।

अतः नामान्तरकरण संख्या 340 ग्राम चक चारावास दिनांक 22.10.2024 को विवादित मानते हुए खारिज किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता हैं कि उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 340 ग्राम चक चारावास दिनांक 22.10.2024 को अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर विवादित पक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर निर्णय विधिसम्मत पारित करें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:30:16 IST
Reason: SelfAttested